(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 5079-दो/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 08-09-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा- प्र0क0 626/2014-15 अपील

1- जवाहरलाल 2- बुद्धीलाल
3- राजधर 4- दुर्गेश कुमार
5- शैलेन्द्र सभी पुत्रगण स्व0केशवराम
6- श्रीमती लुघुरी पत्नि स्व0केशवराम ब्राहमण
सभी निवासी ग्राम कोनीकला (रूपौली टोला)
तहसील जवा, जिला रीवा मध्य प्रदेश --- आवेदकगण

विरूद्ध

1- हीरालाल 2- सुखीनन्द 3- बच्चालाल
4- लल्लूप्रसाद पुत्रगण रामराय
5- श्रीमती सुधा देवी पत्नि स्व.रामनरेश
6- प्रकाशनारायण 7- धर्मेशकुमार
8- अशोककुमार 9- भगवानदास
चारों पुत्रगण स्व0 रामनरेश
10- उदितनारायण पुत्र स्व0 काशीप्रसाद
11- श्रीकांत 12- कृष्णाकांत
13- अनन्तलाल पुत्रगण स्व.जगदीशप्रसाद
14- राजकुमार 15- विमलकुमार
16- ओमप्रकाश 17- दिनेश पुत्रगण बृजपतिराम
सभी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कोनीकला
(रूपौली टोला) तहसील जवा, जिला रीवा मध्य प्रदेश --- अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अरबिन्द तिवारी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक लवकुश प्रसाद द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 625/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-9-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 ने तहसीलदार जवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम कोनी में स्थिति साझिलाती भूमि सर्वे कमांक 1537/3, 1703, 1421, 1722, 1520, 1447, 1472, 1473, 1475, 1516, 1538, 1541, 1580, 1474, 1465 में हिस्सा 1/2 तथा सर्वे कमांक 1788 (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमियॉ सम्बोधित किया गया है) में हिस्सा 1/4 है, तद्नुसार बटवारा किया जाय। तहसीलदार जवा ने प्रकरण कमांकम 64 अ 27/2004--05 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को श्रवण का आदेश दिनांक 27-9-2005 पारित किया एंव पक्षकारों के बीच बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी त्यॉथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्यॉथर ने प्रकरण कमांक 47 अ 27/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-6-2015 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी त्यॉथर के आदेश दिनॉक 9-6-2015 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण कमांक 626/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-8-2015 से अनुविभागीय अधिकारी त्यॉथर का आदेश निरस्त कर दिया एंव तहसीलदार जवा के आदेश दिनांक 27-9-2005 को यथावत् रखा। अपर

आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमियों के पूर्व भूमिस्वामी मृतक रामसेवकराम थे जिनके वारिस दो पुत्र अर्थात रामराज एंव केशवराम हुये हैं जिनके वारिस आवेदकगण एंव अनावेदकगण हैं। वादग्रस्त भूमियों का वर्ष 1986 में रामराज एंव केशवराम के बीच सहमति बटवारा हुआ उसके वाद केशवराम की मृत्यु हुई, जिनके वारिसान का 29-4-13 को नामान्तरण हुआ है। प्रकरण के अवलोकन परिलक्षित है कि तहसीलदार जवा के प्रकरण कमांक 19 अ 27/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 31-1-1995 से फर्द बटवारा रामराज एंव केशवराम के बीच हुआ है जो दिनांक 1-5-1986 को तैयार की गई फर्द (पुल्ली) पर हुई सहमति पर आधारित है। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष भूमि सर्वे कमांक 1788 के असमान हिस्से को बताते हुये अपील कमांक 331/95-96 प्रस्तुत की गई एंव पक्षकारों में आपसी सहमति होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5-7-97 से प्रकरण तहसीलदार जवा की ओर वापिस किया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5-7-97 के विरूद्ध किसी भी पक्षकार ने अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की है जिसके कारण यह आदेश अंतिम हो गया। विचार योग्य है कि जब दिनांक 1-5-1986 को तैयार की गई फर्द (पुल्ली) पर सहमति के आधार पर बटवारा आधारित है एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 5-7-97 अंतिम (Res-judicata) है तब क्या ऐसे आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अपील ग्राह्य कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर सकते हैं ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 178 - सहमति के आधार पर पारिवारिक विभाजन पर आदेश - सहमति के आधार पर किये गये विभाजन आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 178 - सहमति के आधार पर राजस्व न्यायालय से बटवारा - वर्षो वाद असमान बटवारे की आपत्ति - आपत्ति सुनवाई योग्य नहीं - उपचार सिविल वाद है।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 47 अ 27/ 2013-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-6-2015 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में त्रृटि की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण कमांक 626/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-8-2015 से अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 626/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-8-2015 उचित पाये जाने जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर